

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: वि.सं. 07/Exam/Sr. Teach. (Sec. Edu.)/RPSC/EP-I/2025-26

दिनांक : 17.07.2025

आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकरणीय और चतुर्वेदी श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक (SENIOR TEACHER) के निम्नलिखित 10 वर्षों के कुल 6500 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है एवं विभाग से प्राप्त विषयवार रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या में कमी / वृद्धि की जा सकती है) निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विषय	गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद	अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद	कुल पद
01	हिन्दी	1005	47	1052
02	अंग्रेजी	1150	155	1305
03	संस्कृत	842	98	940
04	गणित	1184	201	1385
05	विज्ञान	1160	195	1355
06	सामाजिक विज्ञान	401	0	401
07	उर्दू	48	0	48
08	पंजाबी	11	0	11
09	सिंधी	02	0	02
10	गुजराती	01	0	01
	योग	5804	696	6500

नोट :-

अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र की वर्गीकरण पृष्ठक से आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जायेगा।

विशेष नोट :-

- अनुसूचित क्षेत्र के अन्यथा गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों को विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के विवाहित अस्थार्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के अन्यथा ही ऑनलाइन आवेदन कर। अन्य क्षेत्र के अन्यथा यदि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के पास लिये आवेदन करते हैं, तो वे अपात्र होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अन्यथार्थी को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र याचासमय आयोग कार्यालय द्वारा गारे जाने पर प्रत्युत करना होगा। अन्यथा अपात्र होंगे।
- यदि अनुसूचित क्षेत्र के अन्यथा अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य-सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक लूप से पृष्ठक-पृष्ठक ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रत्युत करना होगा।

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथारिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्षों के पात्र तथा उपयुक्त अन्यथा उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आवश्यक प्रक्रियाएं तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीति किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीति की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रियाएं के अनुसार भरी जायेंगी परन्तु यदि किसी भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अंदर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आवश्यक पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथारिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्षों और यथारिति अति पिछड़े वर्षों के विकारों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वात्वी वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अन्यथा उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विद्या या विच्छिन्न विवाह/परिवर्तन/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अन्यथार्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आवश्यक रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह/परिवर्तन/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विवाह और विच्छिन्न विवाह/परिवर्तन/तलाकशुदा अन्यथार्थी के उपलब्ध न होने की दशा में, न मरी गयी रिक्तियों उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अन्यथार्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों का उपलब्धता नहीं होती है। महिला अन्यथार्थी के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वात्वी वर्ष के लिए आरक्षण को प्रवर्ग की भीतर क्षेत्रिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में वर्षानित महिलाओं को भी पहले महिला कोरे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेष वर्ष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अन्यथार्थी गिर वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सेनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सेनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सेनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अपले भर्ती वर्ष में अग्रनीति की जायेगी और यथारिति, अन्यथार्थी के उपलब्धता एसी रिक्तियां व्यवगत हो जायेंगी।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंद्यमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से मरी जानी वर्ष में अग्रनीति की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंद्यमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तजन की निर्धारित रिक्तियों में अन्तररपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो उसे प्रथमतः उस रिक्ति को अलावा अन्य व्यक्ति से भर रक्खा।
- अनुसूचित जनजाति अन्यथा अनुसूचित वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं भूतपूर्व सेनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासी को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उहै सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। मानवीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 2018 एवं मानवीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहप्रसन्न राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओवीसी/एनवीसी वर्ग में आरक्षण की अनुर्गत ही आवेदन करना होगा।
- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की प्रतात्र ख्याल वाले अन्यथार्थी को आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। इसलिए उहै सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएः :

(1) (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी एवं गुजराती विषय के लिये) :- Graduate or equivalent examination recognized by UGC with concerned subject as Optional Subject, and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

(विज्ञान विषय के लिये) :- Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as Optional Subjects :- Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Micro-Biology, Bio-Technology and Bio-Chemistry and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

(सामाजिक विज्ञान विषय के लिये) :- Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as Optional Subjects:-History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy, and Degree or Diploma in education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

(2) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani culture.

Note: 1. अन्यथा को वाचित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुमत व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि ऐसे अन्यथार्थी को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
2. असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने की उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय सहित। 2023 (BNS) की धारा 217 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे अन्यथा को कालान्तर में काउन्सिलिंग/प्रातात्र जाच/साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाये जाने पर इस परिका को ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि लिए भर्ती परिकाओं से विवरित (Debar) किया जायेगा।

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीका में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है, वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीका से पूर्ण शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सहूत देना होगा।

वेतन का रनिंग पै-बैंड	पे-ग्रेडिक्स लेवल L-11 (Grade Pay -4200/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।	
आयु सीमा	<p>दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 16 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये।</p> <p>नोट :- पद क्रम संख्या 1 से 8 तक के पद आयोग द्वारा वर्ष 2024 में विजित किये गये थे जिसके तहत आयु की गणना का आधार 01.01.2025 रखा गया था। अतः उक्त पद क्रमों हेतु जो अर्थर्थी दिनांक 01.01.2026 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें नियमों में विभिन्न प्राक्वानानुसार अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय नहीं होगी। पद क्रम संख्या 09 के पद वर्ष 2018 में एवं पद क्रम संख्या 10 के पद वर्ष 2013 में आयोग द्वारा विजित किये गये थे। तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अर्थर्थी दिनांक 01.01.2026 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें नियमों में विभिन्न प्राक्वानानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।</p>	
विजित पदों के अनुलम दराये गये आरोपित पदों हेतु विभिन्न वर्ग/ अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्राक्वान		
क्र.सं.	अन्यर्थीयों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणिया	
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	अधिकतम आयु में देय छूट 5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
3.	सामाज्य (आनारक्षित) वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	विद्वा एवं विधिन विवाह (परिवर्कता) महिला Explanation :- In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व केंद्री के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था। और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his/her conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
6.	उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व केंद्री के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भूतपूर्व कालावधि के बावजूद की अवधि की छूट दी जाएगी। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of other ex-prisoners who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
7.	कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उत्तम ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उच्चाने एन.सी.सी. में की होगी बरात्त परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होती तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors, if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
8.	राज्य, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कारोबार में Substantive रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samitis and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.	
9.	निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जावेगा जाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बरात्त किंवदं सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission, Board or Appointing Authority, as the case may be, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
10.	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बरात्त किंवदं सेवा में जहां अस्थाई नियुक्ति के समय आयु सीमा हो गई। The persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age-limit, if they were within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Commission/Board/Appointing Authority and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such, at the time of their initial appointment;	
11.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सेनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सेनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन सिविलिकरण के पश्चात यादि अनुज्येत्र आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दसा में जहां निन्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 15 years for Ex-servicemen; Provided that if permissible age after relaxation under this rule works out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment, where experience of lower post is essential, the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. स्पष्टीकरण :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सेनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित प्राक्वानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिखिलता अन्य लोक सेनिकों/ अन्यर्थीयों को देय है, वह भूतपूर्व सेनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिखिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी डिटकर प्राक्वान है, उसका लाभ भूतपूर्व सेनिकों को मिलेगा।	
12.	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.	
नोट :- विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्राक्वानों जिनमें सामाज्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रावी माने जायेंगे।		
नोट -		
1.	उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्राक्वान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अन्यर्थीयों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्राक्वान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्राक्वानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।	
2.	उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात, बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्राक्वान के अनुसार विशेष योग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी।	
3.	कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षेत्रिक (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आर्थिक पदों हेतु यदि किसी अन्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामाज्य (अनारक्षित) श्रेणियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।	
4.	राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अन्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
5.	अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्राक्वान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विशिष्ट वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्राक्वान ही मान्य होंगे।	
अन्य विवरण		
चयन प्रक्रिया	अन्यर्थीयों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर आधीयोग द्वारा उत्तरापत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्कोलिंग/मोडलेशन/नॉर्मलाइजेशन (सामान्यकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाये गए अन्यर्थीयों के नाम राज्य सरकार/नियुक्ति प्राप्तिकारी को अनुशासित किए जायेंगे जो लिखित परीक्षा में प्राप्तान्कों की मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे।	
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।	
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जायेगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वर्तुनिष्ठ रूप में सी जायेगी जिसके सभी प्रस्तुत वर्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।" विरत योग्यकरण आयोग द्वारा वेबसाइट पर पृष्ठक से जारी किया जाएगा।	

आवेदन अवधि	दिनांक 19.08.2025 से दिनांक 17.09.2025 तक 12-00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	<p>1. उत्तर पद हेतु ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अन्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा—निर्देश (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। ततुपराणि ही अन्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अन्यर्थियों के लिए दिशा—निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का नाम/हिस्सा माना जायेगा तथापि किसी प्रिशिष्ट नर्ती/परीक्षा हेतु संबंधित नर्ती सेवा नियम एवं विज्ञापन में उल्लेखित प्रावधान ही लागू होंगे।</p> <p>2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अन्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अन्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेपड़ी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इन्प्राइज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।</p> <p>3. जिन अन्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अन्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें।</p> <p>4. अन्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेपड़ी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार/SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रतिलिपियों से साक्षात्त्वानुरूप मिलान सुनिश्चित कर लें। यदि इसमें कोई अन्तर है तो आधार कार्ड/SSO ID की प्रतिलिपियों में अवश्यक संशोधन (Correction) करने के पश्चात् ही OTR व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें।</p> <p>Note: ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अन्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि यथा स्वयं को नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग को जॉच/परख ले क्योंकि One Time Registration में सूचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो तीन वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटीपूर्ण प्रविष्टि तथा फोटो को अपलोड कर लें ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके। परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश—पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आधार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जायेगा।</p> <p>5. अन्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेगा। अन्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपनी Live फोटो का Preview देखकर फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।</p> <p>6. अन्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते रामय हरताराह एवं बौद्ध धार्थ की अंगूठा निशानी की स्फैंक फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अभियान वार्षिक तथा द्वारा उपस्थिति में अन्यर्थी की प्रतीक्षा की अंगूठा निशानी भी लगाइ जायेगी।</p> <p>7. अन्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अवधि के दौरान दी नवीनी परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति पत्रक पर चर्चा करने हेतु साथ लेकर आयें।</p> <p>8. अन्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।</p> <p>9. अन्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुशव विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें।</p> <p>10. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन—पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन—पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन—पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं करना जायेगा।</p> <p>11. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते रामय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।</p> <p>12. आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन—लाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथा छुपाने पर आयोग अन्यर्थी पर डिवार राशित नियमानुसार कार्यवाही के लिए रखत्र होगा।</p> <p>13. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से मिलन राज्यों की अनुसूचित जाति/अर्या प्रिष्ठा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/अर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।</p> <p>14. अन्यर्थी ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हाई कॉर्टी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लें।</p> <p>15. अन्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आयोग की वेबसाइट पर Exam Dashboard का समय—समय पर अवलोकन करें व्यापकी आयोग की परीक्षाओं/मर्ती संबंधित समस्त सूचनाएं अयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती है। पृथक से सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।</p> <p>16. आयोग द्वारा अन्यर्थी से उपर प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के अंतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य लोई ऑनलाइन या ऑफलाइन/हाथ से उपर आवेदन पत्र की ताकि उसका नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाइन पत्राचार स्टीकार नहीं किया जायेगा।</p> <p>ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना — ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अन्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR Profile में दशाएँ गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अंतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन नियमानुसार कर सकता है तथापि विज्ञापन में अंकित तिथि/अवधि तक शैक्षणिक योग्यता अंजित करना आवश्यक है:</p> <p>1. यदि कोई अन्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर नियरित शुल्क रूपये 500/- का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध दिशा—निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अन्यर्थी का होगा।</p> <p>2. आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाइन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अन्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अंतिरिक्त अन्य संबंधित किये जा सकते हैं।</p> <p>Note: विचिन्न वियाह/तलाकाशुदा/परिवर्तका महिला ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यायालय के द्वारा पारित विचिन्न विवाह (DV) डिफ्री जारी होने की विधिति में ही वर्ग परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाइन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकते हैं।</p> <p>3. One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अन्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा।</p> <p>4. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अन्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी।</p> <p>5. सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रूपये निर्धारित है।</p> <p>6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी प्रकार का त्रुटि का सूचार होनी किया जायेगा।</p> <p>7. आयोग द्वारा अन्यर्थी से उपर प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के अंतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य लोई ऑनलाइन या ऑफलाइन/हाथ से उपर आवेदन पत्र की ताकि उसका नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी ऑफलाइन/ऑनलाइन परिवर्तन करने हेतु अन्यर्थी को कोई लान्सी अधिकार नहीं होगा।</p> <p>एकबारीय पंजीयन शुल्क :- कार्मिक (क-2) विभाग के प्रियत्र दिनांक 19.04.2023 के हारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एकबारीय पंजीयन शुल्क नियरित किया गया है जो निम्नानुसार है:-</p> <p>1. सामान्य (अनारक्षित)/पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अन्यर्थी - रूपये 600/-</p> <p>2. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग—नॉन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग—नॉन क्रीमीलेयर/आरक्षित वर्ग—नॉन क्रीमीलेयर) के अन्यर्थी - रूपये 400/-</p> <p>3. दिव्यांगजन - रूपये 400/-</p> <p>नोट :-</p> <p>1. राजस्थान राज्य से मिलन अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अन्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अन्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अन्यर्थियों के लिए नियरित पंजीयन शुल्क देना होगा।</p> <p>2. जिन अन्यर्थियों द्वारा पूर्व में यन टाइम राजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अन्यर्थी भी एस.एस.ओ. आईडी द्वारा लांग इन कर यन टाइम राजिस्ट्रेशन के ऑफलाइन पर जाकर उपर्युक्तानुसार नियरित एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवायें।</p> <p>एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करने के पश्चात् परीक्षाओं में उपरिक्त नहीं होने वाले अन्यर्थियों के लिए कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा परिवर्त दिनांक 09.05.2025 जारी किया गया है जो कि निम्नलिखित है:-</p> <p>(i) कोई अन्यर्थी आयोग/बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च) में आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपरिक्त नड़ी होता है तो ऐसी स्थिति में अन्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा।</p> <p>(ii) अन्यर्थी द्वारा शुल्क 750/- रूपये का भुगतान करने के पश्चात् ही एकबारीय पंजीयन शुल्क (O.T.R.) को पुनः चालू (Unblock) किया जायेगा।</p> <p>(iii) एक वर्ष O.T.R. पुनः चालू (Unblock) होने पर यदि अन्यर्थी उसी वित्तीय वर्ष में 02 और परीक्षाओं में अनुपरिक्त रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा।</p> <p>(iv) पुनः प्रतिबंधित O.T.R. को अन्यर्थी के द्वारा साथ रूपये 1500/- का भुगतान करने के पश्चात् ही ओ.टी.आर. सुविधा पुनः चालू की जायेगी।</p>

टिप्पणी—यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे इस परीक्षा तिथि से पूर्व आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdraw) किये जाने का अवसर प्रदान करने पर आवेदन पत्र प्रत्याहरित किये जाने पर इस परीक्षा में ऑटीआर प्रतिबन्धित करने के संबंध में विशेष निर्देश—

1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन/क्षतिपूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश—
श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए यात्रा/योग्य है। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अभ्यर्थी को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
2. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो स्वयं के श्रुतलेखक लाना चाहते हैं, उन अभ्यर्थी को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व दिव्यांगता का वाचित चिकित्सा प्रमाण—पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का बचन—पत्र, श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र व रौप्यांकित योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्रीकृत को प्रस्तुत करनी होगी।
3. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो आयोग/केन्द्रीकृत से श्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अभ्यर्थी को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यांगता का वाचित चिकित्सा प्रमाण—पत्र, अभ्यर्थी का बचन—पत्र केन्द्रीकृत को प्रस्तुत करना होगा।
4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिसाधित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) की श्रेणी के विकल्प (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निःशक्तता—Both Arms) एवं सेरेब्रल पालसी श्रेणी वाले 35% अभ्यर्थी द्वारा चालने पर, दिव्यांगता का विकित्सा प्रमाण—पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का बचन—पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के अलावा Section- 2(r) के तहत परिसाधित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण—पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-C), दिव्यांगता का विकित्सा प्रमाण पत्र एवं श्रुतलेखक का बचन—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा।
5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिसाधित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण—पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगता का विकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के अलावा Section- 2(r) के तहत परिसाधित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण—पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-C), दिव्यांगता का विकित्सा प्रमाण पत्र एवं श्रुतलेखक का बचन—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा।
6. श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक के बचन—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

Scheme and syllabus of competitive examination for senior teacher

The Examination shall carry 500 marks. There will be two papers. Paper-I shall be of 200 marks and Paper-II shall be of 300 marks.

PAPER – I

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects:-
 - (i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
 - (ii) Current Affairs of Rajasthan
 - (iii) General knowledge of world and India
 - (iv) Educational Psychology.
5. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

6. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सेनिक का आगेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्रावधानानुसार भूतपूर्व सेनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णकों में छूट/रियायत दी जायेगी।

PAPER – II

1. The question paper will carry maximum 300 marks.
2. Duration of question paper will be 2 Hours 30 Minutes.
3. The question paper will carry 150 questions of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

5. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सेनिक का आगेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्रावधानानुसार भूतपूर्व सेनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णकों में छूट/रियायत दी जायेगी।
6. Paper shall include following subjects :-
 - (i) Knowledge of secondary and senior secondary standard about relevant subject matter.
 - (ii) Knowledge of graduation standard about relevant subject matter.
 - (iii) Teaching methods of relevant subject.

उक्त पदों हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ऑएमआर उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश—

1. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. It is mandatory to fill one option for each question.
3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

1. अभ्यर्थी Online Application Form में अपना बड़ी मोबाइल नम्बर व ई-गेल आईडी. अकेज्ट करें यिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अकेज्ट मोबाइल नम्बर व ई-मेल आईडी बदलने/बद्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
2. अभ्यर्थी यथासम्भव मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को सीधे भेजें।
3. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन—पत्र ध्यानपूर्वक भरें। अपना ऑनलाइन आवेदन—पत्र अनिम रूप से Submit करने से पूर्ण उसकी समस्त प्रविष्टियों से अवश्यक हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही—सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
4. अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित रागम् सीमा में आवेदन की अनिम दिनांक का इन्तजार किये दिना ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की लोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार होगा।
5. आवेदक द्वारा स्वयं/ई-गित्र/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरते/नरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सूचना SMS & पोस्ट यथादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जांच आवश्यक रूप से करने के पश्चात त्रुटि होने पर उन्हें सुधारने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन—पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जांच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर पिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन—पत्र में संशोधन की निर्धारित प्रक्रियानुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात किसी प्रकार का लोई ऑनलाइन संशोधन प्रविष्टि स्थीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण वायिल स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-गित्र अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-गित्र अथवा अन्य स्त्रोत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाइन आवेदन—पत्र सही—सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विलुप्त कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर संक्षेप प्राधिकारी द्वारा विवाहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
6. अर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अन्यथा एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये।

Note: विवाहित महिला आवेदक के लिए EWS प्रमाण पत्र पिता के नाम से तथा पिता की पारिवारिक आय के आधार पर जारी किया हुआ होना आवश्यक है।

7. शैक्षणिक/प्रशिक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु ली गणना हेतु सैकड़ी अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र) उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), दिव्यांगता* (स्मृत्यु भास्तर वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी द्वारा दियावादी का प्रमाण नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिए प्रमाण पत्र (यथा - विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पड़चान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संबोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विधवा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता/तलाकशुदा/ विछिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास नानानी न्यायालय द्वारा पारित तालाक सम्बन्धी डिक्टी (नानानी न्यायालय द्वारा परित्यक्ता/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

*नोट:- निवेशालय विशेष योग्यतान के आधार दिनांक 28.02.2024 के अनुसार दिनांक 01.03.2024 के पश्चात जारी नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र U.D.I.D./स्वाचलन्मन पोर्टल से जारी किये हुये ही माय्य होंगे।

8. मूलपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान - कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है वा आयोगी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से नियुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समूचेत नियुक्ति प्राधिकारी के प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मूलपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चर्यात हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को विशेषता देता है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु परित्यक्ता/तलाकशुदा/ विछिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास नानानी न्यायालय द्वारा पारित तालाक सम्बन्धी डिक्टी (नानानी न्यायालय द्वारा परित्यक्ता/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
9. 07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी मूलपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन मूलपूर्व सैनिक की ग्रास्तिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजित अनिवार्य है, मूलपूर्व सैनिक को योग्यता/कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु उसी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी मूलपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण करने के पश्चात् किसी एक वर्ष के भीतर पदग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। परन्तु यह और उसकी सेवानिवृत्ति के दो नाह की कालावधि के भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन की अंतिम तिथि से की जायेगी।

10. 07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण पत्र दिनांक 22.05.2005 के अनुसार इस परिपत्र के लिए उसकी मूलपूर्व सैनिक की ग्रास्तिति समाप्त हो जायेगी।

11. रेसा कोई भी अन्यथा, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/सन्तान हों, सेवा में नियुक्ति के लिये प्राप्त नहीं होती है, और उसकी सेवानिवृत्ति के दो बच्चों के दशा में जहां किसी भी पद के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। परन्तु उसी भर्ती के दशा में जहां किसी भी पद के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। परन्तु यह और उसकी सेवानिवृत्ति के दो बच्चों के दशा में जहां किसी भी पद के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। परन्तु यह और उसकी सेवानिवृत्ति के दो बच्चों के दशा में जहां किसी भी पद के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। परन्तु यह और उसकी सेवानिवृत्ति के दो बच्चों के दशा में जहां किसी भी पद के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। परन्तु यह और उसकी सेवानिवृत्ति के दो बच्चों के दशा में जहां किसी भी पद के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

12. रेसा कोई भी अन्यथा, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/सन्तान हों, सेवा में नियुक्ति के लिये प्राप्त नहीं होती है, और उसकी सेवानिवृत्ति के दो बच्चों के दशा में जहां किसी भी पद के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

13. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होगा।

14. आवेदक को चयन उपरान्त आधारण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपाराधिक घारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे सार्वजनिक प्रकरण में बढ़ोत्तरी नहीं होती, परन्तु यह और उसकी सेवानिवृत्ति के दशा में जहां किसी आवेदक के चरित्र प्रमाण-पत्र के भीतर एक बच्चों/सन्तानों की गणना, जो पूर्वतर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिक्कित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णपूर्व से रक्ष्यता है।

16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा केन्द्रीय/राज्य/संस्कारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोजन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

17. अन्यथा जी प्राप्ति के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/ट्रिप्टोर्स सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-

अप्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकवारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थीयों हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी निवेशान्तर एवं संस्कारण आवेदन-पत्र भरने के लिए विविध प्रकार के विभिन्न विवरण द्वारा जारी होते हैं। साथ ही यदि किसी आपाराधिक घारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये तो उसके लिए विविन्न विवरण द्वारा जारी होते हैं। साथ ही यदि किसी आपाराधिक घारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये तो उसके लिए विविन्न विवरण द्वारा जारी होते हैं।

अन्य चिन्ह व सूचना :- एकवारीय पंजीयन सूचना, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र में विविन्न विवरण द्वारा जारी होते हैं। अतः यदि किसी आपाराधिक घारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये तो उसके लिए विविन्न विवरण द्वारा जारी होते हैं। यदि किसी आपाराधिक घारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये तो उसके लिए विविन्न विवरण द्वारा जारी होते हैं।

प्रतिलिपि:- निवेशालय, नानानी न्यायालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को उनके पत्र शिविषा/मा/संस्था/एफ-1(RPSC)/12102/अर्थना(द.अ.-विभिन्न विषय)/सीधी

सूचना/2025-41137-7869815 दिनांक 15.07.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(राजनिवास मेहता)

संघिव

दिनांक : 17.07.2025

क्रमांक: F. 8-A(06)Exam/Sr. Teach. (Sec. Edu.)/RPSC/EP-I/2025-26/44

परिवर्तन

तारीख 17/7/25

संयुक्त संघिव